न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 06 / 2025 आदेश दिनांकः— 25.02.2025

राजस्थान सरकार अनुवानी बनाम हकीमखान आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थितः— 1. श्री सुरेन्द्र राहड़ अभिभाषक प्रतिवादी / प्रार्थी
2. पैरोकार राज.

आदेश प्रार्थना पत्र

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का दावा सं. 06 / 2025 राजस्थान सरकार बनाम हकीम खान वगैरह में नियमित कार्यवाही आरम्भ करने हेतु प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी हकीम खां पुत्र इनायत खां जाति कायमखानी निवासी चूरू की कृषि भूमि खेत ख. नं. 2959 / 2534 तादादी 1.6567 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरू में स्थित है। उक्त कृषि भूमि को प्रार्थी काश्त के रूप में काम लेता रहा है प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि पर कोई किसी प्रकार का अकृषि कार्य के रूप में उपयोग उपभोग नहीं किया पटवारी हल्का चूरू द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार महोदय चूरू को सौपी है प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि विभिन्न लोगो को कृषि कार्य करने के उद्येश्य से ही विक्रय की है। जिसके बैनामो की फोटो प्रति प्रार्थना—पत्र के साथ पेश की जा रही है। तहसीलदार चूरू द्वारा पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट पर प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमानजी के न्यायालय में दावा पेश किया गया है। जो खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना – पत्र स्वीकार फरमाया जावे। व कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावें। जिसकी प्रति पैरोकार राज को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज की ओर से जवाब प्रस्तुत नही कर सीधी बहस की गई जिस पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस में प्रतिवादी / प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना—पत्र 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी / प्रार्थी की ओर से किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया है जबकि अपनी भूमि का विक्रय आवासीय या व्यावसायिक प्रयोजन से भूखण्ड का विक्रय नहीं किया है जिनकी प्रति प्रार्थना—पत्र के संलग्न कर पेश की है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी / प्रतिवादी की ओर से वादगत भूमि की प्लॉटिंग कर विक्रय किया जा रहा है। बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टीए. एवं सपठित धारा 63(1)5 में अंकित किया है कि वादगत भूमि खेत खसरा नम्बर 2959 / 2534 रोही कस्बा चूरू की आवासीय प्लॉटिंग का कार्य [illegible] कर दी है।

प्रतिवादी / प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत [illegible] क्रय पत्र दिनांक 06.12.2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन [illegible] के द्वारा में कुल रकबा 1.6567 हैक्टेयर जमीन में से 2/ [illegible] न प्रतीक राजोतिया [illegible] श्री रामचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:50 IST
Reason: SelfAttested

राजोतिया जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी राजोतिया काम्पलेक्स, शास्त्री मार्केट, चूरू तह0 व जिला चूरू को, विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202403337013774 के द्वारा में कुल रकबा 1.6567 हैक्टेयर जमीन में से 2/11 हिस्सा (0. 3012) जमीन प्रतीक राजोतिया पुत्र श्री रामचन्द राजोतिया जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी राजोतिया काम्पलेक्स, शास्त्री मार्केट, चूरू तह0 व जिला चूरू को, विक्रय पत्र दिनांक 19.12. 2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202402337014343 के द्वारा में कुल रकबा 1.6567 हैक्टेयर जमीन में से 2/13 हिस्सा (0.2549) जमीन सरीता कंवर पत्नी श्री रतनसिंह जाति राजपूत निवासी कोटड़ी के पीछे, लाखाउ तह0 व जिला चूरू (राज.) जिला चूरू को, विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202402337013773 के द्वारा कुल रकबा 1.6567 हैक्टेयर जमीन में से 2/13 हिस्सा (0.2549) जमीन कपिल शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 28 यती जी के उपासरे की गली, चूरू तह. व जिला चूरू राज. को, विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202402337014368 के द्वारा कुल रकबा 1.6567 हैक्टेयर जमीन में से 1/13 हिस्सा यानि 0.1274 हैक्टेयर जमीन सुमित्रा देवी पत्नी श्री राम प्रताप जाति जांगिड़ निवासी पुनिया बस्ती, वार्ड नं. 23 चूरू तहसील व जिला चूरू को, विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202402337014344 के द्वारा कुल रकबा 1.6567 हैक्टेयर जमीन में से 1/13 हिस्सा यानि 0.1274 हैक्टेयर जमीन पार्वती देवी पत्नी श्री जिरंजीलाल जांगिड़ निवासी सी–14 शांति निकेतन, अग्रसेन नगर, चूरू तह0 व जिला चूरू (राज0) को, विक्रय पत्र दिनांक 02.12.2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 20242337013775 के द्वारा कुल रकबा 1.6567 हैक्टेयर जमीन में से 1/12 हिस्सा यानि(0.1381 हैक्टेयर) जमीन रामचन्द्र राजोतिया पुत्र श्री महावीर प्रसाद राजोतिया जाति जांगिड़ ब्राह्मण निवासी राजोतिया काम्प्लेक्स, शास्त्री मार्केट, चूरू तह0 व जिला चूरू को, विक्रय पत्र दिनांक 06/12/2024 रजि. उप पंजीयक चूरू के रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202402337013776 के द्वारा कुल रकबा 1.6567 में से 1/12 हिस्सा यानि(0.1381 हैक्टेयर) जमीन महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री रक्षपालसिंह सिहाग जाति जाट निवासी वॉटर वर्क्स के पिछे, गांधीनगर कॉलोनी, चूरू तह0 व जिला चूरू को विक्रय की है। सभी विक्रय पत्रों में अंकित किया है कि उक्त भूमि क्रेता को कास्त के लिए विक्रय की है। पैरोकार राज की ओर से एसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि उक्त भूमि पर अकृषि कार्य किया गया हो। उप पंजीयक अधिकारी द्वारा उक्त वादगत भूमि का रजिस्ट्री किसी भूखण्ड के रूप में न कर कृषि भूमि के रूप में की गई है । रिपोर्ट पटवारी में अंकन किया गया है कि ग्राम कस्बा चूरू के खसरा नम्बर 2959/2534 रकबा 1.6567 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी का उपयोग उक्त भूमि के खातेदार श्री हकीम खान पुत्र इनायत खान जाति कायमखानी के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के कृषि के अलावा अकृषि कार्य (प्लॉटिंग कार्य) के रूप में उपयोग किया गया है।

प्रार्थी हकीम खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दावा किया गया है कि उन्होंने अपनी कृषि भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया है और किसी प्रकार का अकृषि कार्य (जैसे प्लॉटिंग) नहीं किया है। इसके विपरीत, पैरोकार राज ने आरोप लगाया है कि प्रार्थी ने भूमि की प्लॉटिंग कर उसे आवासीय या व्यावसायिक प्रयोजन के लिए विक्रय किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:50 IST
Reason: SelfAttested

AG.

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन व अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय ने राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 और 63 का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया:

धारा 177 के अनुसार, किसी भी कृषि भूमि का उपयोग बिना सक्षम प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अकृषि कार्य के लिए करना, कानूनी रूप से गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को बिना अनुमति के अकृषि कार्य के रूप में बदलता है (जैसे प्लॉटिंग करना), तो यह अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है।

धारा 63 के तहत, यदि कोई व्यक्ति अपनी कृषि भूमि को गैर–कृषि कार्यों के लिए उपयोग करता है, तो उसे सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। यदि अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है, तो उक्त कार्य अवैध माना जाएगा। इस धारा के तहत भूमि की किस्म परिवर्तन करना, जैसे कि कृषि भूमि को प्लॉटिंग या अन्य अकृषि कार्यों के लिए परिवर्तित करना, विशेष रूप से कानूनी अनुमतियों के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए विक्रय पत्रों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भूमि का विक्रय केवल कृषि कार्य के लिए किया गया है, और किसी भी प्रकार का अकृषि कार्य जैसे प्लॉटिंग नहीं किया गया है। इसके विपरीत, पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भूमि का उपयोग बिना अनुमति के अकृषि कार्य (प्लॉटिंग) के लिए किया गया है।

पैरोकार राज ने इस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए यह आरोप लगाया कि प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिए किया है, जो राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अवैध है।

न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों, बहस और राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 और 63 को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि प्रार्थी ने अपनी भूमि का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए किया है, और इसके विक्रय का उद्देश्य केवल कृषि कार्य के लिए था। चूंकि प्रार्थी ने भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए विक्रय किया है और किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं किया है, इस प्रकार, पटवारी की रिपोर्ट और पैरोकार राज के आरोपों के बावजूद, कोई राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 और 63 उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाना उचित है।

निर्णय:

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रति पैरोकार राज को उपलब्ध हो।

आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:27:50 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू